[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2021-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. .... (अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 08/2020-सीमा-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 जो संख्यांक सं. सा.का.नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. सा.का.नि. 645(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1997 अधिसूचना सं. 84/97-सीमा-शुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित;

(viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. सा.का.नि. 98(अ) तारीख 8 जनवरी, 1957 अधिसूचना सं. 3/57-सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित” ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टी.आर.यू.]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 08/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 संख्यांक सा.का.नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 19/2020-सीमाशुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 2020 द्वारा संख्यांक सा.का.नि 246(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।